The Hindu plus Summary : 15.03.2024

मेन्स मास्टर

पोल बांड: 22 कंपनियों ने ₹100 करोड़ से अधिक का दान दिया

संदर्भ: चुनाव आयोग ने चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया:
• चुनाव आयोग 12 मार्च, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त चुनावी बांड पर डेटा जारी करता है।
• यह डेटा निगमों से राजनीतिक दलों तक धन के प्रवाह पर प्रकाश डालता है।
चौंकाने वाला खुलासा: फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर सबसे बड़े दानदाता के रूप में उभरे:
• प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करने के बावजूद, सैंटियागो मार्टिन के नेतृत्व वाला फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर, एकल सबसे बड़ा दानकर्ता बन गया है।
• फर्म ने 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,368 करोड़ का चौंका देने वाला योगदान दिया।
क्रोनी पूंजीवाद का कोण:
• बांड भुनाने में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शीर्ष पर:
• बीजेपी ने ₹6,060.5 करोड़ के चुनावी बांड भुनाए, जो सभी पार्टियों द्वारा भुनाए गए कुल बांड का 47.5% से अधिक है।
• यह प्रभुत्व राजनीति में पैसे के प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है।
• बड़े दान धन के प्रभाव को उजागर करते हैं:
• निगमों का महत्वपूर्ण योगदान क्रोनी पूंजीवाद की संभावना को रेखांकित करता है।
• यह बड़े व्यवसायों और राजनीतिक दलों के बीच शक्ति की गतिशीलता पर जोर देता है।
धन की भूमिका:
• चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है:
• भाजपा, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से महत्वपूर्ण रकम प्राप्त होती है।
• बीजेपी ने ₹6,060.5 करोड़ भुनाए, कांग्रेस को ₹1,421.9 करोड़ मिले, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ₹1,609.50 करोड़ मिले।
• प्रमुख कॉर्पोरेट दाता:
• मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल), वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, क्विक सप्लाई चेन, हल्दिया एनर्जी, वेदांता, एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और केवेंटर फूडपार्क इंफ्रा जैसी कंपनियां शीर्ष दानदाताओं में शामिल हैं।
• एमईआईएल ने ₹966 करोड़ का दान दिया, जबकि वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने ₹220 करोड़ का योगदान दिया, क्विक सप्लाई चेन ने ₹410 करोड़ का योगदान दिया, हल्दिया एनर्जी ने ₹377 करोड़ का योगदान दिया, वेदांता ने ₹375.65 करोड़ का योगदान दिया, एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज ने ₹224.45 करोड़ का योगदान दिया, भारती एयरटेल ने योगदान दिया। ₹198 करोड़ का दान देता है, और केवेंटर फूडपार्क इंफ्रा ₹195 करोड़ का दान करता है।
आगे की राह: पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अखंडता के लिए सुधार:
• अभियान वित्त विनियम और चुनावी बांड योजनाओं में सुधार:
• पारदर्शिता बढ़ाने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।
• खामियों को दूर करने और नियमों को मजबूत करने से राजनीति में पैसे का अनुचित प्रभाव कम हो जाएगा।

पैनल एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करता है

प्रसंग:
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उस उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख हैं जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया है। समिति ने महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
पृष्ठभूमि:
वर्तमान में, भारत में चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे बार-बार व्यवधान और तार्किक चुनौतियाँ पैदा होती हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से शुरू होने वाले विभिन्न चुनावों को सिंक्रनाइज़ करके चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें:
• एक साथ चुनाव: समिति लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश करती है।
• अनुक्रमिक क्रम: आम चुनावों के बाद, नगरपालिका और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए।
• सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया: विभिन्न चुनावों को सिंक्रनाइज़ करने का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और व्यवधानों को कम करना है।
• बढ़ी हुई दक्षता: क्रमिक क्रम में चुनाव कराने से साजो-सामान संबंधी चुनौतियाँ कम हो जाती हैं और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।
• राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा: एक साथ चुनाव एक सुसंगत चुनावी चक्र प्रदान करके और शासन में बार-बार होने वाले व्यवधानों से बचकर राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
• शासन पर ध्यान: चुनाव कार्यक्रमों को संरेखित करके, निर्वाचित प्रतिनिधि लंबे समय तक अभियान गतिविधियों में शामिल होने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
• लागत में बचत: चुनावों का समन्वयन सरकार, राजनीतिक दलों और चुनावी प्रक्रिया में शामिल अन्य हितधारकों द्वारा की जाने वाली कुल लागत को कम करता है।
• स्पष्टता और निरंतरता: एक समकालिक चुनावी कैलेंडर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निरंतरता प्रदान करता है, जिससे नागरिकों और हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ता है।
एक साथ चुनाव का विचार:
एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य:
• सरकार, व्यवसायों, अदालतों और नागरिक समाज जैसे विभिन्न हितधारकों पर बोझ कम करके चुनावों की आवृत्ति कम करें।
• राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करके चुनावी प्रक्रिया और शासन को सुव्यवस्थित करें।
पक्ष में तर्क:
• दक्षता: एक साथ चुनाव होने से बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले व्यवधान कम हो जाते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है।
• लागत बचत: एक साथ कई चुनाव कराने से सरकार, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों द्वारा की जाने वाली कुल लागत कम हो जाती है।
• राजनीतिक स्थिरता: समकालिक चुनाव बार-बार होने वाले चुनावों और सरकार में बदलाव से जुड़ी अनिश्चितता को कम करके राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
के खिलाफ तर्क:
• तार्किक चुनौतियाँ: अलग-अलग राजनीतिक परिदृश्य वाले विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ चुनाव लागू करना तार्किक चुनौतियाँ पैदा करता है।
• संघीय ढांचे का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव सत्ता को केंद्रीकृत करके और राज्यों की स्वायत्तता को कम करके संघीय ढांचे को कमजोर कर सकते हैं।
• स्थानीय मुद्दों पर प्रभाव: विभिन्न चुनावों का संयोजन स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकता है और नगरपालिका और पंचायत चुनावों के महत्व को कम कर सकता है।
आगे बढ़ने का रास्ता:
• प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और भारत के चुनाव आयोग सहित सभी हितधारकों के साथ सावधानीपूर्वक विचार और परामर्श की आवश्यकता है।
• एक साथ चुनाव को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संविधान और प्रासंगिक क़ानून में संशोधन आवश्यक हैं।
• एक कार्यान्वयन समूह को सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए और संक्रमण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना चाहिए।

भूटान की शुरुआती चाल, उसका गेलेफू जुआ

प्रसंग:

• आर्थिक विकास और वैश्विक अंतर्संबंध को बढ़ावा देने के लिए तेजी से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली दुनिया में, भारत में असम की सीमा से लगे शहर गेलेफू में एक अद्वितीय आर्थिक केंद्र के लिए भूटान का प्रस्ताव एक रणनीतिक कदम के रूप में सामने आता है।

पृष्ठभूमि:

• भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन से संचालित होती है। हालाँकि, राज्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए "उच्च मूल्य, कम मात्रा" पर्यटन की नीति का पालन करता है। यह दृष्टिकोण केवल पर्यटन क्षेत्र से महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की संभावना को सीमित करता है।

• गेलेफू परियोजना की कल्पना भूटान के लिए एक गेम-चेंजर के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित एक कार्बन-तटस्थ शहर बनाना है:

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
- शिक्षा
- स्वास्थ्य सेवा
- सतत पर्यटन

भूटान का प्रस्ताव:

• गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी) एक प्रस्तावित 1,000 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसका ध्यान स्थायी प्रथाओं और पर्यावरणीय चेतना पर है।

• मुख्य उद्देश्य गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को आकर्षित करना है जो कार्बन-तटस्थ शहर के सिद्धांतों के अनुरूप हों। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण-पर्यटन और सतत विकास पर केंद्रित अनुसंधान संस्थानों जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शामिल हो सकते हैं।

• यह परियोजना गेलेफू को एक प्रमुख क्षेत्रीय कल्याण केंद्र के रूप में स्थापित करने की भी आकांक्षा रखती है, जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल, स्पा सुविधाएं और समग्र कल्याण के लिए केंद्र प्रदान करती है।

• भूटान रणनीतिक रूप से गेलेफू परियोजना को भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति के पूरक के रूप में रखता है, जिसका उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। गेलेफू का स्थान क्षेत्र में एक मजबूत व्यापार और वाणिज्य गलियारा बनाने की दिशा में एक संभावित कड़ी के रूप में कार्य करता है।

क्षेत्र के लिए लाभ:

• गेलेफू के विकास से भारत, भूटान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। इसमें शामिल होगा:

- माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क और रेलवे जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे का उन्नयन।
- अधिक खुला और व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यापार नीतियों और विनियमों को सुव्यवस्थित करना।

• एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में गेलेफू की स्थापना से इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया में एक संपन्न व्यापार और निवेश केंद्र में बदलने की क्षमता है। यह दुनिया भर के व्यवसायों को आकर्षित कर सकता है, जिससे:

- आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन में वृद्धि।
- विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान साझा करना और विशेषज्ञता का हस्तांतरण।
- क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा।

• चीन की सीमा से सटा भूटान का रणनीतिक स्थान गेलेफू परियोजना को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। परियोजना की सफलता संभावित रूप से व्यापार और आर्थिक संबंधों के लिए चीन पर भूटान की निर्भरता को कम कर सकती है। इससे भूटान को क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और सौदेबाजी की शक्ति मिलेगी।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

• गेलेफू की भौगोलिक स्थिति अंतर्निहित कठिनाइयाँ प्रस्तुत करती है। क्षेत्र का अनुभव:

- मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा और बाढ़, बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।
- आसपास के जंगलों और वन्यजीव गलियारों की उपस्थिति के कारण पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक शहरी नियोजन की आवश्यकता होती है।

• पड़ोसी क्षेत्रों, विशेष रूप से भारत और म्यांमार के उत्तरपूर्वी राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है और आर्थिक क्षेत्र के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

• भूटान की चारों ओर से भूमि से घिरा होने की स्थिति के कारण यह परिवहन नेटवर्क और व्यापार मार्गों जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। इस परियोजना की व्यवहार्यता के लिए भारत सरकार से घनिष्ठ सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है।

भारत-भूटान संबंध:

• भारत और भूटान के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। भूटान उन कुछ दक्षिण एशियाई देशों में से एक है जो वर्तमान में चीन के महत्वपूर्ण प्रभाव में नहीं है।

• भूटान को कहीं और, विशेषकर चीन के साथ गठबंधन करने से रोकने के लिए, भारत को गेलेफू परियोजना का सक्रिय रूप से समर्थन करने की आवश्यकता है:

- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधन साझा करना।
- सीमा पार व्यापार और निवेश नियमों को सुव्यवस्थित करना।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• गेलेफू परियोजना की सफलता भारत की सक्रिय भागीदारी और समर्थन पर निर्भर है। इसके लिए आवश्यकता होगी:

- परिवहन नेटवर्क, पावर ग्रिड और संचार प्रणाली जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तीय निवेश।
- शहरी नियोजन, सतत विकास और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना।
- विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए सीमा पार व्यापार नियमों को सुव्यवस्थित करना।

• गेलेफू के स्थान की भौगोलिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए यह आवश्यक होगा:

- मजबूत बाढ़ नियंत्रण उपायों को लागू करना।
- पारिस्थितिक व्यवधान को कम करने वाली स्थायी शहरी नियोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करना।

• क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक है:

- सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और भूटान के बीच सहयोगात्मक प्रयास।
- संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना।

सीएए और न्यायिक कार्यवाही की स्थिति

प्रसंग:

• दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले विशिष्ट धार्मिक समुदायों से संबंधित अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए एक तेज़ मार्ग प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि:

• CAA ने आसपास की चिंताओं के कारण महत्वपूर्ण विवाद और कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया:

- अनुच्छेद 14 का संभावित उल्लंघन: ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम व्यक्तियों के साथ केवल उनके धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जो संभावित रूप से कानून के समक्ष समानता की भारतीय संविधान की गारंटी का उल्लंघन करता है।
- असम समझौते के साथ विरोधाभास: सीएए पात्रता के लिए 31 दिसंबर 2014 की कट-ऑफ तारीख स्थापित करता है, जो असमिया नागरिकता निर्धारित करने के लिए असम समझौते की 1971 की कट-ऑफ तारीख के विपरीत है।

सीएए क्या है:

• सीएए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले पड़ोसी देशों के विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जैन) से संबंधित व्यक्तियों के लिए नागरिकता आवेदन में तेजी लाने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

• असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों को सीएए के दायरे से छूट दी गई है। इस छूट का उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्वदेशी आबादी की रक्षा करना है।

सीएए और न्यायिक कार्यवाही:

• सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

• भारत सरकार का तर्क है कि सीएए पड़ोसी देशों में इन विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले धार्मिक उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बनाया गया एक "सौम्य" कानून है।

• सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक CAA की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

चुनौतियाँ:
• अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि मुसलमानों को सीएए के लाभों से बाहर रखकर, यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करता है।
• असम समझौते के साथ संघर्ष: सीएए की 2014 की कट-ऑफ तारीख सीधे तौर पर 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते का खंडन करती है, जिसने असमिया नागरिकता निर्धारित करने के लिए 24 मार्च 1971 को कट-ऑफ तारीख के रूप में स्थापित किया था। यह विसंगति क्षेत्र में संभावित जनसांख्यिकीय बदलाव के बारे में चिंता पैदा करती है।
• नए अधिसूचित नियम: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकार ने स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनियम की संवैधानिकता पर अंतिम निर्णय देने से पहले नियमों को अधिसूचित करके सीएए को लागू किया। इससे सरकार द्वारा संभावित रूप से न्यायालय के फैसले को टालने के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
आगे बढ़ने का रास्ता:
• भारतीय कानूनी प्रणाली सीएए की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। यह फैसला अधिनियम की कानूनी स्थिति निर्धारित करेगा।
• नागरिकता अधिनियम (असम समझौते से संबंधित) की धारा 6ए की वैधता पर न्यायालय का निर्णय भी सीएए के भाग्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। धारा 6ए असम में नागरिकता निर्धारित करने के लिए 1971 की कट-ऑफ तारीख स्थापित करती है। यदि न्यायालय इस धारा की वैधता को बरकरार रखता है, तो यह सीएए को मौजूदा कानूनी ढांचे के साथ असंगत बना सकता है।
वर्तमान स्थिति:
• गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।
• नवगठित नियमों को चुनौती देने और उनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही हैं।
संक्षेप में, सीएए कानूनी जांच के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए से जुड़ी कानूनी चुनौतियों का समाधान अंततः सीएए का भविष्य तय करेगा।

प्रीलिम्स बूस्टर

पूर्वी कांगो में भड़की हिंसा के कारण क्या हैं?

- 🔥 पूर्वी डीआरसी में कांगो सेना और रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों के बीच नए सिरे से झड़पें तेज हो गई हैं, जिससे बढ़ती मौतों, विस्थापन और खाद्य सुरक्षा जोखिमों के साथ मानवीय संकट बढ़ गया है।
- 🌍 यह संघर्ष 1994 में रवांडा नरसंहार के बाद ऐतिहासिक तनाव से उपजा है, जिससे क्षेत्र में जातीय मिलिशिया और सत्ता संघर्षों के कारण हिंसा का चक्र शुरू हो गया और सीमाओं के पार लाखों लोगों का विस्थापन हुआ।

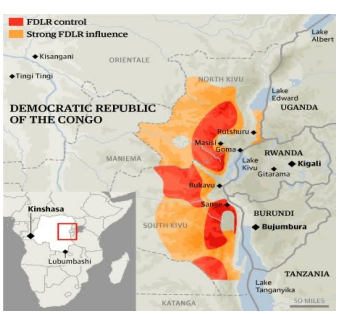

- ⚔️ तुत्सी हितों की रक्षा के लिए 2012 में गठित एम23 विद्रोही, हुतु मिलिशिया के हमलों का हवाला देते हुए 2022 में फिर से उभर आए हैं, जिससे रवांडा के समर्थन का आरोप लगाया जा रहा है और डीआरसी और रवांडा के बीच संबंधों में तनाव आ रहा है।
- 🆘 हिंसा में वृद्धि ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है, और अधिक हताहतों को रोकने और क्षेत्र में गहराते मानवीय संकट को कम करने के लिए शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है।

चीन में लिथियम बूम धीमा हो गया है क्योंकि कीमतों में गिरावट ने उच्च लागत वाले खनिकों को प्रभावित किया है

- - 📉 ईवी की मांग में नरमी और आपूर्ति की अधिकता के कारण चीन में स्पॉट लिथियम कार्बोनेट की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे खनन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और उत्पादन वृद्धि और नई परियोजना योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन को बढ़ावा मिला है।
- 💰 हार्ड रॉक अयस्क, लेपिडोलाइट से लिथियम निकालने की उच्च लागत ने लंबे समय तक कीमत में गिरावट के बीच उत्पादन को अस्थिर बना दिया है, जिससे चीन और विश्व स्तर पर खनन गतिविधियों और नई परियोजनाओं में मंदी आ गई है।
- 🌍 चीन, जो वैश्विक लिथियम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है, ने अधिक लागत प्रभावी लिथियम खनन विधियों जैसे नमकीन जमा और स्पोड्यूमिन की ओर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि लेपिडोलाइट खनन को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- 🔍 विश्लेषकों ने लेपिडोलाइट मंदी के कारण चीन के खनन लिथियम उत्पादन वृद्धि में कमी का अनुमान लगाया है, साथ ही अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य लिथियम स्रोतों की ओर बदलाव के साथ, समग्र वैश्विक लिथियम उत्पादन वृद्धि अनुमानों पर असर पड़ा है।
- 🏭 चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों ने कई लिथियम उत्पादकों को उत्पादन बंद करने और नौकरियों में कटौती करने के लिए मजबूर किया है, विशेष रूप से जियांगशी जैसे क्षेत्रों में नकारात्मक मार्जिन और उत्पादन कटौती पर चिंता के साथ, जहां उच्च लागत वाली लेपिडोलाइट परियोजनाएं महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना कर रही हैं।

रोडामाइन बी

- 🚫 स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों के कारण सरकारें स्ट्रीट फूड में रोडामाइन-बी के उपयोग पर रोक लगा रही हैं, क्योंकि यह एक फ्लोरोसेंट डाई है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा और चमड़े जैसे उद्योगों में किया जाता है, लेकिन उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है।
- 🍭 रोडामाइन-बी कॉटन कैंडी, मिठाई, मंचूरियन आइटम और पकौड़े में पाया गया है, जिससे एलर्जी, कोशिका मृत्यु, मस्तिष्क और अंग के ऊतकों को नुकसान और लंबे समय तक सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
- 🛑 खाद्य पदार्थों में रोडामाइन-बी की मौजूदगी ने तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एफएसएसएआई जैसे नियामक अधिकारियों द्वारा सुरक्षित माने गए अनुमोदित खाद्य रंगों और स्वादों के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में सुधार के लिए पैनल का गठन

💊 फार्मास्यूटिकल्स विभाग (मूल्य निर्धारण प्रभाग) ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार के लिए एक समिति की स्थापना की है, जिसकी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर आने की उम्मीद है।
- 📋 समिति के फोकस में एनपीपीए के भीतर संस्थागत सुधारों का प्रस्ताव देना, आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता के बीच संतुलन सुनिश्चित करना और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विकास और निर्यात का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करना शामिल है।
- 📅 समिति में तीन सदस्य शामिल हैं: फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव, एनपीपीए के अध्यक्ष, और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, जो उद्योग में मूल्य निर्धारण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास का संकेत देते हैं।

शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु शीर्ष पर है

- 🦈 ट्रैफिक और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के एक संयुक्त विश्लेषण के अनुसार, तमिलनाडु को शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के केंद्र के रूप में पहचाना गया है, जनवरी 2010 और दिसंबर 2022 के बीच लगभग 65% बरामदगी हुई है।
- 📉 विश्लेषण से पता चला कि इस अवधि के दौरान लगभग 16,000 किलोग्राम शार्क के पंख जब्त किए गए, जो जब्त किए गए सभी शार्क-व्युत्पन्न उत्पादों का लगभग 80% है, साथ ही महत्वपूर्ण मात्रा में शार्क उपास्थि और दांत भी जब्त किए गए।
- 🌊तमिलनाडु के बाद, कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अवैध शार्क व्यापार में प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में पहचाना गया था, जैसा कि "अवैध वन्यजीव व्यापार में शामिल: भारत के शार्क" शीर्षक वाली फैक्टशीट में उजागर किया गया था।
- 🌿 ट्रैफिक, वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण, एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन है जो जैव विविधता को संरक्षित करने और टिकाऊ कानूनी वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जंगली पौधों और जानवरों के व्यापार की निगरानी करने के लिए समर्पित है, जबकि अस्थिर अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करता है।
- 🦁 1976 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के प्रजाति अस्तित्व आयोग के एक विशेषज्ञ समूह के रूप में स्थापित, TRAFFIC वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और IUCN के बीच एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में विकसित हुआ है, जो इसके महत्व पर जोर देता है। वन्यजीव संरक्षण और जिम्मेदार व्यापार प्रथाओं की।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org